भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3911
दिनांक 25 मार्च, 2025 / 04 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के आबंटितियों के लिए माफी योजना

†3911. श्री मनीश तिवारी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) द्वारा 1 जून, 2014 से 1 मार्च, 2025 तक आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों को जारी किए गए कुल नोटिसों और इस संबंध में की गई कार्रवाइयों सहित संपत्तियों को वापस लेने, निवासियों को बेदखल करने, जुर्माना लगाने तथा दर्ज किए गए या कंपाउंड किए गए आपराधिक मामलों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 जून 2014 से 1 मार्च 2025 की अवधि के दौरान आबंटितियों पर लगाए गए जुर्माने और दंड के माध्यम से सीएचबी द्वारा अर्जित कुल राजस्व कितना है;

(ग) जुर्माने के भुगतान के पश्चात 1 जून, 2014 से 1 मार्च, 2025 के बीच मूल आबंटितियों या अन्य लोगों को कुल कितने मकान पुनः आबंटित किए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार सीएचबी से लगातार नोटिस प्राप्त होने के कारण होने वाली समस्याओं को देखते हुए चंडीगढ़ के आबंटितियों को राहत प्रदान करने के लिए वर्ष 1999 की दिल्ली योजना अथवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के समान कोई माफी योजना या कानून अधिनियमित करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग) चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) द्वारा 1 जून, 2014 से 1 मार्च, 2025 तक आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों को जारी किए गए कुल नोटिस और इस संबंध में की गई कार्रवाइयों की जानकारी

अनुलग्नक-I में दी गई है। इस अवधि के दौरान सभी आबंटियों पर लगाए गए जुर्माने और दंड के माध्यम से सीएचबी द्वारा अर्जित कुल राजस्व ₹3.72 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 35 मकान, मूल आबंटियों को पुनः आबंटित किए गए हैं।

(घ) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 में स्पष्ट रूप से आवासीय इकाइयों की संरचनात्मक सुरक्षा की प्रणालीबद्ध जांच और चंडीगढ़ में भवन नियमों का कठोर पालन करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10.01.2023 को SLP(C) संख्या 4950/2022 के निर्णय में फ्लोर एरिया रेशियो को स्थिर रखने का निर्देश दिया है।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3911, दिनांक 25.03.2025

अनुलग्नक -I

क्रम संख्या	वर्ष	नोटिस जारी		रद्द किये गये आवास इकाइयों की संख्या	वापस लिए गए नोटिस	बहाल/ पुनर्जीवित	तोड़फोड़ कार्य	बेदखल आवासीय इकाइयों की संख्या	तोड़फोड़ शुल्क वसूला गया
		पंजाब की राजधानी (विकास और विनियम) अधिनियम, 1952 की धारा 15 के अंतर्गत जारी नोटिस	कारण बताओ नोटिस						
1.	01.06.2014 से 31.12.2014	12	681	3	87	0	2	6	₹15,985
2.	2015	66	598	14	13	2	13	8	₹24,033
3.	2016	1297	373	17	21	4	7	5	₹24,187
4.	2017	735	687	25	37	1	45	2	₹63,676
5.	2018	97	656	16	228	1	11	3	₹8,182
6.	2019	419	437	35	89	1	73	8	₹ 0
7.	2020	274	138	4	60	3	25	3	₹24,97,417
8.	2021	158	22	0	83	1	24	0	₹ 2,44,151
9.	2022	192	42	2	59	5	7	26	₹3,04,494
10.	2023	183	22	7	48	13	13	1	₹8,45,766
11.	2024	292	45	19	25	4	3	10	₹3,61,380
12.	01.01.2025 से 01.03.2025	25	17	3	6	0	0	0	₹1,32,773